कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
35-राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
ई-मेलः cscd.bhopal@mp.gov.in / jd.scdhobpl@mp.gov.in

क्रमांक/शिक्षा-1/न.क्र.45/2024-25/ 1687 **भोपाल, दिनांक** 27/06/24

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क,
मध्यप्रदेश

विषयः-वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजनांतर्गत चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बावत्।

शासन व्दारा प्रदेश के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। **वर्ष 2024-25 में अभ्यर्थियों के चयन हेतु** अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु संलग्न विज्ञप्ति प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। विज्ञप्ति प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः- विज्ञप्ति

27/6/24

अपर आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिक्षा-1/2024-25/ 1688 **भोपाल, दिनांक** 27/06/24

प्रतिलिपिः-

1- समस्त संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं विज्ञप्ति की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

2- समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड चस्पा करने हेतु।

27/6/24

अपर आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
35-राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
ई-मेलः cscd.bhopal@mp.gov.in / jd.scdhobpl@mp.gov.in

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में निम्न उपाधियों हेतु छात्रवृत्ति देने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

(1) उपाधि एवं पात्रता की शर्तें:-

उपाधि	पात्रता हेतु अर्हता
अ. शोध उपाधि (पी.एच.डी. हेतु)	आवेदक संबंधित स्नातकोत्तर में परीक्षा प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक के साथ या उसके समतुल्य (श्रेणी) में उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन/शोध/व्यावसायिक अनुभव/एम.फिल. उपाधि प्राप्त हो।
ब. स्नातकोत्तर	आवेदक स्नातक उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ या उसके समतुल्य (श्रेणी) में उत्तीर्ण हो।

छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर तथा शोध उपाधि(पी.एच.डी.) की उपाधियों के लिये निम्न विषयों/पाठ्यक्रमों के लिये प्रदान की जावेगी :-

1. **इंजीनियरिंग**
2. **प्योर साईसेंस एवं एप्लाईड साईसेंस**
3. **एग्रीकल्चर साईसेंस**
4. **मेडिकल**
5. **मैनेजमेंट**
6. **इंटरनेशनल कामर्स एवं एकाउंटिंग फायनांस**
7. **फारेस्ट्री एवं नेचुरल साईसेंस**
8. **विधि (लॉ)**
9. **मानविकी**

(2) इस छात्रवृत्ति योजनांतर्गत अधिकतम 50 अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।

(3) चयनित अभ्यर्थियों को विदेश में स्थित **संस्थान/यूनिवर्सिटी** जिसकी **Times/QS World Ranking 500** अथवा उससे कम हो में ही प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

(4) आयु:- आवेदक की आयु आवेदन दिये जाने वाले वर्ष की **1 जनवरी 2024 को 35 वर्ष** से कम हो। विशेष प्रकरणों मे समिति व्दारा आयु 10 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।

(5) आय सीमा:- आवेदक की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय (माता-पिता तथा अभ्यर्थी स्वयं की पत्नी/पति सहित) **राशि रूपये 8.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।** अभ्यर्थियों के चयन में न्यूनतम आय वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। इस संबंध में नियोक्ता का प्रमाण पत्र/तहसीलदार व्दारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं अद्यतन आयकर निर्धारण की प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करें।

उन्हीं माता-पिता अथवा अभिभावक के एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। एक अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता एक ही बार होगी।

(7) आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी व्दारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(8) छात्रवृत्ति की अवधि :-

1.	पी.एच.डी	2 वर्ष
2.	स्नातकोत्तर उपाधि	2 वर्ष

(9) इसके अतिरिक्त शासकीय गजट में प्रसारित विदेश मे उच्च शिक्षा हेतु नियम दिनांक 15.8.03 एवं समय समय पर किये गये संशोधन की सभी शर्ते अभ्यर्थी को पूर्ण करनी होगी।

(10) शासकीय अथवा शासन के उपक्रमों में सेवारत अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्रस्तुत कर सकेंगे परन्तु उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से एक माह के अंदर नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, नियोक्ता के माध्यम से भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(11) जिन विषयों पर जिस विदेशी संस्थान में अध्ययन/शोध करना है उसके संबंध में आवेदन पत्र में एवं पात्र पाये जाने पर साक्षात्कार के समय स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करावें।

(12) जिन अभ्यर्थियों का चयन योजनान्तर्गत हो चुका है वे आवेदन न करें।

(13) आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट **scdevelopmentmp.nic.in** पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता हैं।

(14) आवेदन करने की अंतिम तिथि **दिनांक 19 जुलाई 2024, सांय 06:00 बजे तक** होगी।

(15) आवेदन पत्र पूर्ण कर अभिलेखों के साथ कार्यालयीन समय में स्वत:/रजिस्टर्ड डाक से निम्न पते पर भेजें :-

कार्यालय आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
35, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स,
भोपाल-462002

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश